रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102026-277334
CG-DL-E-22102026-277334

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 21, 2026/आश्विन 29, 1948
No. 322] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2026/ASVINA 29, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2026

मामला सं. एडी (ओआई) - 39/2025

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कॉपर डेटा केबल्स" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/44/2025-डीजीटीआर – यथासमय संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा यथासमय संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कॉपर डेटा केबल्स" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के संबंध में दिनांक 16.09.2026 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 6/44/2025-डीजीटीआर जारी की है।

उक्त अंतिम जांच परिणाम के पैरा 111 के साथ संलग्न शुल्क तालिका में एक टंकण त्रुटि हो गई थी, जिसमें माप की इकाई अनजाने में "केएम" के स्थान पर "एमटी" उल्लिखित हो गई है। अतः, जहां तक अंतिम जांच परिणाम के पैरा 111 का संबंध है, अंतिम जांच परिणाम का पैरा 111 प्रतिस्थापित होकर निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"111. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित

करने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश करते हैं:

शुल्क तालिका

क्र.सं.	**शीर्ष**	**विवरण**	**उद्गम का देश**	**निर्यात का देश**	**उत्पादक का नाम**	**राशि (अमेरिकी डॉलर/कि.मी.)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	854449	कॉपर डेटा केबल्स*	चीन जन. गण.	कोई भी	जेडटीसी टैक्नॉलाजी (सुझोउ) कं. लि.	शून्य
2	यथोपरि	यथोपरि	चीन जन. गण.	कोई भी	जिनहुआ गुआनयंग इलेक्ट्रानिक टेक्नॉलाजी कं. लि.	शून्य
3	यथोपरि	यथोपरि	चीन जन. गण.	कोई भी	झेजियांग चाओलियान इलेक्ट्रिक कं. लि..	शून्य
4	यथोपरि	यथोपरि	चीन जन. गण.	कोई भी	निंगबो एक्सीलेंस कम्युनिकेटेड कनेक्टर कं. लि.	शून्य
5	यथोपरि	यथोपरि	चीन जन. गण.	कोई भी	क्र.सं. 1 से 4 के अलावा कोई अन्य उत्पादक	86
6	यथोपरि	यथोपरि	चीन जन. गण. के अलावा कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी	86

* CAT 5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 7A और पैच कॉड्र्स सहित सभी संरचित कॉपर डेटा केबल्स।

टिप्पणी 1 - इस वस्तु का व्यापार किलोमीटर (कि.मी.) में होता है। सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण इसी इकाई में किया जाना चाहिए। तदनुसार, इसे सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं।

टिप्पणी 2 - उपर्युक्त में उल्लिखित कंपनियों के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का लागू होना सीमाशुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन होगा, जिस पर ऐसा बीजक जारी करने वाली संस्था के किसी अधिकारी द्वारा, जिसकी पहचान उसके नाम और पद से की गई हो, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित निम्नलिखित घोषणा अंकित होगी:

"मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस बीजक में शामिल, भारत को निर्यात हेतु बेचे गए (संबंधित उत्पाद) की (मात्रा) का विनिर्माण (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा (देश का नाम) में किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस बीजक में दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।" यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमाशुल्क कानूनों और विनियमों के अंतर्गत सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।"

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

CORRIGENDUM NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2026

Case No. AD (OI) – 39/2025

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Copper Data Cables" originating in or exported from China PR.

F. No. 6/44/2025-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, thereof, the Designated Authority has issued the Final Findings Notification No. 6/44/2025-DGTR dated 16.09.2026 in respect of the anti-dumping investigation concerning imports of "Copper Data Cables" originating in or exported from China PR.

A typographical error had occurred in the duty table appended to paragraph 111 of the said final findings, wherein the unit of measurement has inadvertently been mentioned as "MT" instead of "KM". Thus, insofar as paragraph 111 of the final findings is concerned, paragraph 111 of the final findings stands substituted to be read as under:

"111. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, for a period of 5 years, equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table appended below:

DUTY TABLE

S.No.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Name of Producer	Amount (US$/KM)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	854449	Copper data cables*	China PR	Any	ZTC Technology (Suzhou) Co., Ltd.	NIL
2	do	do	China PR	Any	Jinhua Guanyang Electronic Technology Co. Ltd.	NIL
3	do	do	China PR	Any	Zhejiang Chaolian Electronic Co., Ltd.	NIL
4	do	do	China PR	Any	Ningbo Excellence Communicated Connector Co., Ltd.	NIL
5	do	do	China PR	Any	Any producer other than S. No. 1 to 4	86
6	do	do	Any Country other than China PR	China PR	Any	86

* All structured Copper Data Cables including CAT 5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 7A and patch cords.

Note 1 - The trading of this commodity occurs in Kilometre (KM). The recommended ADD should be collected in this unit. Accordingly, steps may be taken to ensure the same.

Note 2 - The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

"I, the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (producer name and address) in (name of country). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct." If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs laws and regulations.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.10.22 15:46:22 +05'30'